## न्यायालयः: डॉ. कुलदीप जैन, विशेष न्यायाधीश (विद्युत) भिण्ड (म०प्र०)

<u>आदेश दिनॉक—06.02.2017</u>	Les Al	<u>प्र0कं0 110</u>	<u>/ 12  विद्युत</u>
------------------------------	--------	--------------------	----------------------

.....अभियोगी


शासन				
//	बनाम	[/		
रामेश्वर	सिंह	आ	दि	

आरोपीगण

## Order sheet (contd)

case N0- 110/of 2012

A	No.	
Date of	(Kar	Signature of
order or	Order or proceeding with Signature of presiding	parties or
proceeding	officer	pleaders
Za,		where
The state of the s		necessary
06 <u>.02.2017</u>	परिवादी द्वारा श्री मुकेश कुमार दुबे अधिवक्ता।	9
1 300	आरोपीगण अनुपस्थित।	
	प्रकरण आरोपीगण रामेश्वर, किशन महेश की	
	उपस्थिति हेतु नियत है। 🧥 🔥	
	पुलिस थाना गोरमी जिला भिण्ड से आरोपीगण के	5-110
	गिरफ्तारी वारण्ट इस तस्दीक के साथ वापिस प्राप्त कि वह	
	फरार हो गये है एवं ज्ञात पते पर पर्याप्त प्रयासों के बाद भी	
	नहीं मिल रहे है। फरारी साक्ष्य में साक्षी प्रधान आरक्षक कं०	
	945 उदयभान सिंह उपस्थित हैं।^_ 🍖 🍎 🧖	
	उनकी फरारी साक्ष्य अंतर्गत धारा 299 द०प्र०सं०	
	लेखबद्ध की गई। उन्होंने शपथपूर्वक तामीली रिपोर्ट का	
	समर्थन किया है। उनकी रिपोर्ट पर विश्वास करते हुये	
	आरोपीगण को फरार घोषित किया जाता है। उनके विरूद्ध	
	स्थाई गिरफ्तारी वारण्ट जारी हो। स्थाई गिरफ्तारी वारण्ट	
	संबंधित प्रधान आरक्षक उदयभान सिंह को प्रदत्त कर पावती	
	आदेश पत्रिका में ली जावे।	
	धारा 82 द0प्र0सं0 के अंतर्गत उद्घोषणा जारी	
	हो। धारा 83 द0प्र0सं0 के अंतर्गत कार्यवाही के लिए	
	अभियोजन अभियुक्तगण की सम्पत्ति का विवरण पेश करे।	
	प्रकरण में आरोपीगण फरार हैं। तदानुसार अभिलेख	
	व मुद्देमाल सुरक्षित रखने संबंधी टीप प्रकरण के मुख्य पृष्ठ	
	पर लाल स्याही से अंकित की जावे।	
	प्रकरण में अब कोई कार्यवाही शेष नहीं है।	
	परिणाम पंजी में अंकित कर विहित अवधि में दाखिल	



STINGS IN PARCE

STIRITAL STREET STREET